कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–890A/ 2806 दिनांक 16/11/2021

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Raipur Lying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest division under Chhattisgarh State, area- 2.963 ha.**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 123989/ 2021

संदर्भः– 1. मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग का पत्र क्रमांक/तक अधि / 7713 दिनांक 23.10.2021
2. वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल का पत्र क्रमांक/2317 दिनांक 18.10.2021

※※※※※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से राजनादंगाव वन मंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला–अड़जल, मेटेपारा–मोहला, अंबागढ़–मोंगरा, मोंगरा–फाफामार, गेंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली–डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़–बिचारपुर मुख्य मार्गो से समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 2.963 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन कमियां पाई गई है:–

ऑन लाईन कमियां

1. Coloum No. K Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

   (i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No

   वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव ध्यान रखें कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों में कलेक्ट कार्या. द्वारा वन अधिकार पत्र एवं राजस्व वन भूमि की एन.ओ.सी प्राप्त हो गया है तो आनलाईन Form A Part-I के कालम न. K पर आवेदक संस्थान द्वारा अपलोड कराकर अपडेट कराया जाता है। अपलोड करावें।

2. Form A Part-II के कालम न. 16 में अपलोड भाग–2 पर हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी का नाम एवं दिनांक अंकित नहीं हैं। सुधार कर पुनः अपलोड करें।

3. चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक–4 में गैर वन भूमि की आवश्यकता नहीं है का लेख किया गया है। परन्तु आनलाईन फार्म ए के बिन्दु कमांक A-1(IX) में गैर वन भूमि – 13.178 का उल्लेख है एवं फार्म ए के बिन्दु क्रमांक A-D(i) में अपलोड (Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined) 322.822 कि.मी. (जिसमें 59.260 कि.मी वन क्षेत्र है) आप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है लेख किया गया है। प्रकरण में गैर वन भूमि सम्मिलित है यह स्पष्ट होता है। गैर वन भूमि का पूर्ण विवरण गॉववार/खसरावार प्रस्ताव के चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक–4 में साथ संलग्न करें।

4. छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक/एफ–5–20/2007/10–2(पार्ट) दिनांक 13.10.2021 जो कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू–पबंध/खनिज/331–29/2691 दिनांक 27.10.2021 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकों को लेख किया गया है। छ.ग. शासन के निर्देशानुसार अनुसार डी.जी.पी.एस रिपोर्ट सत्यापित कर प्रस्ताव के साथ सलग्न एवं अपलोड करें।
5. एफ.एम.आई.एस द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस, के.एम.एल फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन, संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर मानचित्र पर अथवा पृथक से सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे तथा जो वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
6. आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार / तकनीकी अधिकारी से कराया जावें इस बाबत् भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र में वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

ऑफ लाईन कमियां

1. चेक लिस्ट क्रमांक – 4 : गैर वन क्षेत्र का विवरण में लेख किया गया है कि 322.822 कि.मी सड़क के किनारे राईट ऑफ वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में गैर वन भूमि की आवश्यकता नहीं है जबकि आनलाईन Form-A, Part-I के B-2.1 में गैर वन भूमि 13.178 हे. दर्शाया गया है – स्थिति स्पष्ट करें अथवा गैर वन भूमि रकबा 13.178 हे. का विवरण संलग्न करें।
2. चेक लिस्ट क्रमांक – 11 : भाग–2 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है जिसे अंकित करें।

उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे मूलतः संलग्न प्रेषित है।

संलग्न 1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे 3 प्रतियों में

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/ 115–890A/ 2807 रायपुर, दिनांक 16/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **मुख्य वन संरक्षक**, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. **महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)** ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.) ।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र. / भू–प्रबंध / खनिज / 331–29 / 2691 रायपुर, दिनांक 27 / 10 / 2021

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

विषय: वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत राज्य शासन से जारी किये जाने वाले विविध दिशा निर्देश।

संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ – 5–20/ 2007/ 10–2 (पार्ट) दिनांक 13.10.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले डी.जी.पी.एस. सर्वे के संबंध में 3 बिन्दुओं की दिशा निर्देश जारी किया गया है।

अतः संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आगामी प्रस्तुत किये जाने वाले वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की छायाप्रति (02 पृष्ठीय)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

क्र. / भू–प्रबंध / खनिज / 331–29 / 2692 रायपुर, दिनांक 27 / 10 / 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

– **समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)**, छत्तीसगढ़ को पालनार्थ।
– **शाखा प्रभारी**– विविध–1/ विविध–2/ विद्युत / सिंचाई / खनिज/ सहायक प्रोग्रामर, भू–प्रबंध प्रभाग। संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं प्रस्ताव प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें। तत्पश्चात ही प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की छायाप्रति (02 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ–5–20 / 2007 / 10–2(पार्ट)   नवा रायपुर, दिनांक 13/10/2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् राज्य शासन से जारी किये जाने वाले विविध दिशा निर्देश ।

——00——

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में आवेदित वन भूमि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण स्थल के DGPS Survey Report तैयार करने हेतु निम्न दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चत करें :–

(i). DGPS Survey Report के प्रत्येक पृष्ठ पर वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।

(ii).DGPS अंतर्गत निर्मित 100% मुनारों का सत्यापन संबंधित उप वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। वनमंडलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करेगें कि, आवश्यक समस्त मुनारें सही जगह पर लगाये गये है तथा सही हालत में है। वनमंडलाधिकारी स्वयं पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर Random रुप से 2% मुनारों का प्रतिपरीक्षण करेगें तथा निम्न तालिका अनुसार निर्धारित प्रारुप में प्रतिवेदन देगें। यदि कोई मुनारा निर्धारित स्थान पर नही पाया जाता है या सही हालत में नहीं पाया जाता है तो उसे सुधार कराना सुनिश्चित करेगें :–

तालिका –1

वनमंडलाधिकारी द्वारा DGPS Survey के दौरान सत्यापित मुनारों का विवरण

सत्यापित किये गये मुनारों का I.D. क्र.	DGPS Survey के नक्शे अनुसार मुनारों के Coordinate का विवरण		मुनारों के सत्यापन के दौरान प्राप्त Coordinate का विवरण		क्या मुनारें सही स्थान पर सही स्थिति में पाये गये अथवा नही का विवरण (हॉं / नही में विशेष उल्लेखनीय बिन्दु)	रिमार्क
	अक्षांश	देशांश	अक्षांश	देशांश		

(iii). वनमंडलाधिकारी द्वारा DGPS नक्शा तथा रिपोर्ट एवं सर्वे में प्रयुक्त 100% मुनारों का सत्यापन संबंधित उपवनमंडलाधिकारी से कराकर, सत्यापन प्रतिवेदन को अपने कार्यालयीन रिकार्ड में संधारित किया जायेगा।

2/– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आवेदित होने वाले वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों के प्रोसंसिंग हेतु 21 बिंदुओं की चेक लिस्ट तथा अन्य प्रकार के गैर वानिकी कार्यों हेतु आवेदित होने वाले वन भूमि प्रकरणों के लिए 44 बिंदुओं की चेक लिस्ट निर्धारित की गई है।

3/– उपरोक्त 21 बिंदुओं की चेक लिस्ट में 22 वां बिंदु तथा 44 बिंदुओं की चेक लिस्ट में 45 वां बिंदु के रूप में आवेदित वन क्षेत्र तथा प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र के DGPS Survey प्रतिवेदन की वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति, DGPS की KML File सहित साफ्ट प्रति के साथ निम्नानुसार प्रमाण पत्र अनिवार्य रुप से वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा :–

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, मेरे द्वारा विषयांकित प्रकरण में गैर वानिकी कार्य हेतु प्रभावित वन क्षेत्र में बनाये गये समस्त मुनारों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में करा लिया गया है तथा उनका सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र का संधारण कार्यालयीन अभिलेख में किया गया तथा उक्त मुनारों में से Random रुप से 2% मुनारों का मेरे द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत है। समस्त मुनारे अपने निर्धारित स्थल पर सही स्थिति में लगे पाये गये हैं :–

प्रपत्र

वनमंडलाधिकारी द्वारा DGPS Survey के दौरान सत्यापित मुनारों का विवरण:–

सत्यापित किये गये मुनारों का I.D. क्र.	DGPS Survey के नक्शे अनुसार मुनारों के Coordinate का विवरण		मुनारों के सत्यापन के दौरान प्राप्त Coordinate का विवरण		क्या मुनारें सही स्थान पर सही स्थिति में पाये गये अथवा नही का विवरण (हॉ/नही में विशेष उल्लेखनीय बिन्दु)	रिमार्क
	अक्षांश	देशांश	अक्षांश	देशांश		

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
परिक्षेत्र अधिकारी	**उप वनमंडलाधिकारी**	**वनमंडलाधिकारी**

4/– कृपया आगामी प्रस्तुत किये जाने वाले वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में उपरोक्त बिंदुओं के अनुरुप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ–5–20/2007/10–2(पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 13/10/2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. समस्त मुख्य मुख्य वन संरक्षक (क्षे.), छत्तीसगढ़।
3. समस्त वनमंडलाधिकारी, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

13.10.21
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit